(84)

1

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर

प्र0क0 एक / निगरानी / टीकमगढ़ / भू–रा0 / 2018 / 2499

श्री ... द्वारा आज दि. 20/4/18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 2-5-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 20-4-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

R.V. 20/4/18

1– राजेन्द्र सिंह तनय नाथूराम दागी

2– संजीव फौत वारिसान

(अ) ममता पत्नी संजीव सिंह

(ब) रामू पुत्र संजीव सिंह (नाबालिग)

बली संरक्षक मां ममता

3– मनोज कुमार तनय नाथूराम दागी

4– भरत तनय नाथूराम दागी

5– ममता पुत्री नाथूराम दागी

निवासीगंण – निवाड़ी, दंगयाना मोहल्ला तहसील व थाना निवाड़ी, जिला टीकमगढ़, म0प्र0

—— आवेदकगंण

विरूद्व

1– विजय कुमार

2– राकेश कुमार पुत्रगंण द्वारकाप्रसाद

निवासीगंण – निवाड़ी, दंगयाना मोहल्ला तहसील व थाना निवाड़ी, जिला टीकमगढ़, म0प्र0

—— अनावेदकगंण

Copies recd 02/5/18

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/2499 राजेन्द्र विरूद्ध विजयकुमार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 324/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 19-03-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 02-05-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया	

28.12.18

जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

28.12.18

(आर.के. जैन)
सदस्य